उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4

संख्या-1/2022/बी-4 -215 /दस-2022

लखनऊः दिनांक: 17-08-2022

विषयः राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि/जमा हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-2021 के लिए ब्याज दर का निर्धारण।

लेखाशीर्ष ''8336-सिविल जमा-103-राज्य प्रतिपरक वनीकरण जमा' ' तथा लेखाशीर्ष ''8121-सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियॉ-129-राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि' ' हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 हेतु ब्याज दर 3 प्रतिशत को संशोधित कर 5.5 प्रतिशत एवं 2020-2021 के लिए 3.4 प्रतिशत वार्षिक निर्धारित की जाती है। ब्याज का आगणन वार्षिक आधार पर किया जायेगा।

नील रतन कुमार

विशेष सचिव।

संख्या-1/2022/बी-4-215/दस-2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- अपर मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।

3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

नील रतन कुमार

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।